कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 22 99 / 36सी.

दिनांक रानीखेत सितम्बर 39, ,2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :--

नगरकोटिया से कोठा मोटर मार्ग ।(प्रस्ताव संख्या 9043/2015)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक मैमो / 12-1 दिनांक 26.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

,	जापरयक कायवाहा	हतु प्रिषित किया जा रहा है।	
क्र. सं.	2000=	निराकरण	
1.	In Column D of Part-I, justification for locating the	Justification for locating the project in	
	project in the forest area is not given	the forest area is mentioned in Column	
3.	Under FRA area has not been mention in the proceeding of District Level Committee meeting as well as FRA Certificate. DC signed FRA Certificate on 04/12/2014 but the Tehsildar put the date as 18/11/2014 under his signature in the same certificate.	Area has been mentioned in the proceeding of District Level Committee meeting. Tehsildar is not member of committee. After inpections of site an area Tehsildar recomend the file for	
4.	There are 199 trees over 0.495 ha which are proposed to be felled. State Govt. explore alternative alignment to reduce the no. of trees to be felled and submit revised proposal, if necessary.	approvel on the date 18-11-2014. There is not any alternative alignment to reduce the no of trees.	
5.	above shortcomings/discrepancies may be removed.	Yes removed.	

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खुण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत। Proposal no-

9043

Date- 26-09-2016

पत्रांक भेनी /12-1

प्रतिलिपि— अध्यासी अभियन्ता प्रान्तीय.. खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत उक्त समस्त आपित्तयों का part-I में para द्यांते हुए बिन्दुवार निराकरण करें तथा समस्त बिन्दुओं की pdf copy आनलाइन part-I के additional information में भी forwarding letter के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें। एवं उक्त बिन्दुओं की soft copy almoraforestdivision@rediffmail.com में भी भेजना सुनिश्चित करें। तािक प्रस्ताव को DFO स्तर से अग्रसारित किया जा सेके। आपके द्वार प्राप्ति के प्राप्त

प्रकारीय जनकिकारी, इस्मोडा वन प्रधार, अस्मीडा

ソリのよりも

परियोजना का नाम : है बाह किन त्येला भोराकार है (अमी 19 के नागर नारिया बागम स्थान से बेराका योग ते अवह गांगी

्रवन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनाप्रदित प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कर्यल / भार्य तहसील भिन्या भेने जिला का मोडो

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला काला जिला के जिला के निर्माण हेतु (च्याट जिला के निर्माण हेतु कि आरक्षित वन भूमि, के कि सिवल सोयम भूमिळ अक्टू के विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जनत प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिए कि द्वारा दिनांक 03/8/2 की सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वर्न भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/वृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि जक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के प्रियाल के निर्माण के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आष्टित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ी ी ी ी ते विवास के बार क

बिवबंद स्यास्टे (सस्योगा)

ग्राम्प्रवान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रपन्न प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

92 010

प्रपत्र-23.1

दिनांक 0.3/8/2014) ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत <u>बेट्राल</u> केल का का

कंमांक	ग्राम सभा में उपरिथत	वृष्टि ग्रामवासि	ायों के न	114	् हस्तावार	r ·
	-3/8-1-2/14				9/18-12	2
2	927217	, P ,			GHEIN	
3:	- grift/d				Heelix (18)	
4	Tellar Swy		-		अनीत रिकी	1
5	लिए। वेकी।				CH CH	101/56
6	919 3 mg	1				
. 7	3301 300					
9	न्त्रेष्ट्र	1			27/12	Join
	वाकिन सिर	1.		-	ONICH ALL	y- la
10	2 WAT				2 0 Raver	
1/	3/18/12				DITHIGAI	196
12	अहडाडिस				· Mid of	
. 13.	2301 54		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
14	5/0/21/ 24			1	W. A. SA	
15	27519 278	-	The second of th	7-	9671819	. 0
1.6	\$ 50 PER!				3 Apr	EU DUE
17	111410 2137	-	1		situmon	NEC Store
10.	E-11/2/17. 11	The state of the s			· E = 2-11712	i i
20	C/00/211/ 3!			1	Chemi Dont	100
.70	र्शियाम् !!				7711111	100
	The state of the s	· (2)			1/2/1/	
	and and				/	

TOLLIGHTEE COLLIGHTEE

Seal Pro FORTE

3 HILLIAME

कावता देवी

Finn

70

प्रपत्र-23.2 परियोजना का नाम :- द्वार - चिन्नाकी मोर मार्ग के मिल करि १ की नेगरको हिंदी ना मन स्थान से केता है। जाले एक कीर मार्ग का निर्माल

कार्यालय उप जिलाधिकारी, <u>प्राप्त</u> अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड र्यान्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणि के सिविल एवं सोयम वन भूमि का वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल अन्तर्गत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील र्यान्य को को विवरणः-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राज्यान जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री <u>भार भन्दा भार</u> उपजिलाधिकारी <u>उप जिल्ला करारा,</u> अध्यक्ष 2— श्री 3— श्री 4— श्री <u>जिल्ला भारत है जिल्ला</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>विकाम सामित्र स्थार</u> है जिव 4— श्री <u>जिल्ला करार</u> है बीठडी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्भित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, दिन क्षिक्त क्षेत्र क्

421100 सर्वसम्मति से परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड –परियोजना के निर्माण हेतु <u>०. ५५५</u> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड क्त्रीया वैन अधिकार समिति तहसील- स्थाल्हे जनपद है। १८० है। प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 🚾 अवस्थक कार्यवाही हेतु। उप जिल्लाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- 22100

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. <u>परियोजना का नाम</u> :— देघाट—चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.825 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जिलाधिकारी

It is further certified that

S.N.		Remarks		
(a)	The complete process for identification and	Not applicable as there are no		
	settlement of right under the FRA has been carried	habitats belonging to scheduled		
	out for the entire 2.362 het. of forest area proposed	tribus and other Traditional forest		
	for diversion/copy of records of all consultations and	Dwellers.		
	meetings of the forest Rights committee(s) and the			
	District level Committee are enclosed annexure 1 to	* <u>.</u>		
	annexure.			
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed	Not applicable as there are no		
	by the Government as required under section 3(2) of	habitats belonging to scheduled		
	the FRA have been Complete and the Gram Sabhas	tribes and other Traditional forest		
	have given their consent to it.	Dwellers there is no objection		
		certificate of concerned motor		
		road is affixed in the forest file		
(c)	The proposal does not involve recognized rights of	Not applicable as there are no		
	primitive Tribal Groups and preagricultural	habitats belonging to scheduled		
	communities.	tribes and other traditional forest		
		Dwellers.		

Encl:As above

जिला समाज कल्याण यविकारी अस्योड़ा जिला अधिकारी अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almor

6-	Office of the District Collector: Almora				
No :	•••••	2 2		Dated:	
•					

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that Dela Shame of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Deal and Market Mark

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1. 19.5. Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Encl: As above

S.D.M.लाधकारा, चिड्डारेज (यल्योहा)

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

THE ALTERNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Cf 9043 (देशार-चिन्ठाली कोठमार्स में नमा कोरि

DFO may provide consolidated point wise reply to the objections of Ro/nodal officer date 24-02-2016.

पर्वाका मेर्जा / 12-1 (2) / रिक्नोका ९-6-20+6

क्रिकीच्यामी क्रिकामना जातीम खण्ड लोठित्व विठ

क्रिकीच्या शिरुवार मेर्चा मेर्जिक की जाप किता
किन्द्रवार मेर्चा के प्रकारण क्रिकामित किता जाना

्रियमागीय वनाषिकासी, अल्मोड़ा वस प्रधान, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email efkumaon north a rediffmal.com . 2 (05962) 231099 Fax: 230397 पत्रीक 3172 /12-1 अल्मोडा, दिनाक, 24/02/ 2016

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा एवं अल्मोडा।

नगरकोटिया से कोठा मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 9043 / 2015)। विषय:-

नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपित दिनांक 23.02.2016। संदर्भ :-

महोद्य.

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण में लगायी गयी आपत्ति का उत्तर नोडल अधिकारी को ऑन-लाइन प्रेषित किये जाने पर नोडल अधिकारी द्वारा पुनः निम्न आपत्तियां स्चित की गयी है-

DFO may provide point wise reply to objections from nodal along with numbered annexures in support of the same. The present reply does not correspond to the points raised by regional office.

RO- obj are following-

1. In column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is

2. Under FRA, area has not been mention ed in the proceeding s of District Level

Committee meeting as well as FRA Certificate.

3. DC signed FRA Certificate on 04/12/2014 but the Tehsildar has put the date as 18/11/2014 under his signature in the same certificate.

4. There are 199 trees over 0.495 ha which are proposed to be felled. State Govt. explore alternative alignment to reduce the no. of trees to be felled and submit revised proposal, if necessary.

5. Above shortcomings/discrepancies may be removed.

उक्त आपित्तयों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपित्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करे ताकि इसे नोडल अधिकारी का प्रेषित किया जा सके।

यन सरक्षकः / यन सरक्षकः 49119 SH /12-1/1279729/16 कार्यम्ला, प्रान्तीय व्याड उपने कर कापितामी का कि-दुवार निराकर्व कर कारमा प्रमागीम वनां विकासी।